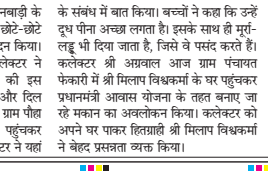

न्यूज गैलरी

छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव आज

भिलाई (नव प्रदेश)। भिलाई इस्पात संयंत्र के सीएसआर विभाग एवं हिर्री डोलोमाइट माइंस के सीएसआर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिर्री में 13 जनवरी, 2018 को छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

चैप्टर द्वारा तकनीकी व्याख्यान का आयोजन

भिलाई (नव प्रदेश)। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफमेटल्स भिलाई, चैप्टर के तत्वावधान में 13 जनवरी, 2018 को दोपहर 3.00 बजे से भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केन्द्र के सभागार में ÷इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में जारी नवीन प्रवृत्तियाँ÷ विषय पर तकनीकी व्याख्यान का आयोजन किया जायेगा।

हेमचंद के मुख्य आतिथ्य में 14 को परिचय सम्मेलन

दुर्ग (नवप्रदेश)। आगामी 14 जनवरी रविवार को दोपहर बारह बजे दुर्ग नगर यादव समाज महासभा एवं जिला यादव युवा सुगठन द्वारा पचरी पारा स्थित यादव छात्रावास में यादव युवक- युवती परिचय सम्मेलन मिलन समारोह व गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समारोह का उद्घाटन 1:30 बजे होगा जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केबिनेट मंत्री हेमचंद यादव होंगे । अध्यक्षता दीपक ताराचंद साहू करेंगें विशेष अतिथि के रूप में निगम महापौर चंद्रिका चन्द्राकर शिवराज राउत राजेश ताम्रकार मेधनाथ यादव बोधन यादव सभालाल यादव कृष्णा यादव किशन यादव बिसाहू यादव जगनाथ यादव विश्वनाथ यादव व श्रीमती अहित्यायादव उपस्थित रहेंगे।

पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य जुटाने लगाया नार्को व ब्रेन मोपिग का आवेदन

दुर्ग (नवप्रदेश)

नगपुरा पार्श्व तीर्थ के संस्थापक रावलमल जैन और उनकी पत्नी सूरजी देवी हत्याकांड मामले में आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अभियुक्त संदीप जैन की तरफसे नारको और ब्रेन मेंपिंग टेस्ट के लिए पुलिस आवेदन को निरस्त करने की मांग की गई। अभियुक्त के अधिवक्ता ने पुलिस की कहानी को षड़यंत्र पूर्वक फर्जी मेमोरंडम एवं जप्ती पत्र तैयार कर अभियुक्त को प्रकरण में शामिल करने की बात कही है। पुलिस ने अपने आवेदन में यह लिखा है कि आरोपी द्वारा हत्या का स्पष्ट उद्देश्य की जानकारी एवं पुख्ता साक्ष्य संकलन के लिए आरोपी का नारको टेस्ट एवं ब्रेन मेंपिंग टेस्ट कराने की आवश्यकता है। अब इस मामले में अदालत 15 जनवरी को अपना निर्णय देगी।

गौरतलब है कि 1 जनवरी को नगपुरा पार्श्व तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सूरजी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना सुबह साढ़े 4 से 6 बजे के मध्य बताई गई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने घटना के चंद घंटे बाद लगभग सवा 8 बजे मृतक जैन दंपत्ति के एकलौते पुत्र संदीप जैन को गिरफ्तार किया। आरोपी संदीप को 3 जनवरी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्मिता रत्नावत की अदालत में प्रस्तुत किया गया। आरोपी ज्यूडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी भावेश साव ने 5 जनवरी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आरोपी संदीप जैन के नारको टेस्ट एवं ब्रेन मेंपिंग टेस्ट के लिए अनुमति चाहने आवेदन प्रस्तुत किया है । पुलिस ने आवेदन में बताया कि रावलमल जैन व उनकी पत्नी सूरजी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरंडम एवं पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर संदीप जैन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस आवेदन में आगे लिखती है कि आरोपी द्वारा हत्या का स्पष्ट उद्देश्य की जानकारी एवं पुख्ता साक्ष्य संकलन के लिए आरोपी का नारको टेस्ट एवं ब्रेन मेंपिंग कराने की आवश्यकता है। प्रकरण अत्यंत गंभीर होने से आरोपी का नारको टेस्ट व ब्रेन मेंपिंग टेस्ट कराने की अनुमति दी जाए। पुलिस के इस आवेदन पर आज सुनवाई थी। अभियुक्त संदीप जैन की ओर से अधिवक्ता तारेंद्र जैन ने कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर पुलिस के आवेदन को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अधिवक्ता तारेंद्र जैन ने कोर्ट में प्रस्तुत आवेदन में कहा है कि घटना के तत्काल बाद आनन-फानन में अपने कत्तज़्व्यों एवं दायित्वों के विमुख होते हुए पुलिस ने षड़यंत्र पूर्वक फर्जी मेमोरंडम एवं जप्ती पत्र तैयार कर अभियुक्त को प्रकरण में आलिप्त किया गया है। दुर्ग पुलिस को अपने षड़यंत्र के उजागर होने का पूर्वाभास होने पर एन-केन प्रकरेण अभियुक्त के विरुद्ध फर्जी साक्ष्य गढ़ने के आशय से कथित आवेदन प्रस्तुत किया गया है ताकि अभियुक्त पर दबाव बनाकर अनुचित तरीके से साक्ष्य का संकलन किया जा सके। अभियुक्त के माता पिता की असामायिक मृत्यु (हत्या) हो जाने के कारण अभियुक्त अत्यंत व्यथित है और उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है तथा इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। परंतु उक्त स्थिति पर अभियुक्त पर दबाव बनाते हुए अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा आलोच्य आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि पोषणीय नहीं है। और निरस्त किए जाने योग्य है।

संदीप नहीं है सहमत

आरोपी संदीप जैन की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत आवेदन में अधिवक्ता तारेंद्र जैन ने यह कहा है कि अभियुक्त नारको टेस्ट एवं ब्रेन मेंपिंग टेस्ट के लिए स्वेच्छया सहमत नहीं है। दुर्ग पुलिस को अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की अनुमति व सहमति के बिना ब्रेन मेपिंग एवं नारको टेस्ट के लिए अनुमति दिया जाना अभियुक्त के सवैधानिक अधिकारों व निजता के अधिकारों का हनन होगा। अधिवक्ता ने सेल्वी एवं अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य 2010 एससीसी क्राइम का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता ने कहा है कि नारको एवं ब्रेन मेंपिंग की अनुमति दिए जाने से अभियुक्त की मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ-साथ उसके जीवन के लिए भी घातक प्रभाव हो सकता है।

गले नही उतर रही है पुलिस की कहानी

1 जनवरी को जैन दंपत्ति की हत्या की खबर अल सुबह शहर में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस ने घटना के चंद घंटों बाद ही हत्या के आरोप में जैन दंपत्ति के इकलौते पुत्र संदीप जैन को गिरफ्तार किया था। जैन दंपत्ति के अंतिम संस्कार के बाद देर रात पुलिस के आला अफसरों ने सेक्टर-6 पुलिस कंट्रोल रूम में बकायदा प्रेस कान्फ्रेंस कर हत्या के कारणों का खुलासा किया था। पुलिस की कहानी में यह बताया गया था कि पिता-पुत्र में वैचारिक मतभेद था ।पिता रोज सुबह नौकर से शिवनाथ नदी से पानी मंगाकर पूजा-पाठ करते हैं। यह बात संदीप को पसंद नहीं थी और वह इस परंपरा को तोड़ना चाहता था। उसने शिवनाथ नदीसे पानी लाने वाले नौकर को छुट्टी दे दी थी। सुबह इसी मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसने अपने माता-पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की यह कहानी की सच्चाई क्या है यह तो पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाह को सुनने के बाद न्यायालय तय करेगा। लेकिन शहर के आम जनों के बीच पुलिस की कहानी आज तक गले नहीं उतरी है।

इस्पात मंत्री ने सेल फुटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया

भिलाई (नव प्रदेश)

माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री चैधरी बीरेंद्र सिंह ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेल फुटबॉल एकेडमी (एसएफए) के खिलाड़ियों को आज कोलकाता में आयोजित एक समारोह के दौरान सम्मानित किया, जिन्होंने हाल ही में 58वीं अंतरराष्ट्रीय सुब्रोतो कप फुटबॉल चैम्पियनशिप-2017 जीता है। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साय और सेल अध्यक्ष श्री पीके सिंह भी उपस्थित थे।

माननीय इस्पात मंत्री श्री बीरेंद्र सिंह ने टीम के लिए 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार घोषित करने के साथ ही, हर खिलाड़ी को खेल-परिधान भी भेंट किया। बोकारो स्थित सेल फुटबॉल अकादमी के इन 16 नवोदित खिलाड़ियों ने सितंबर 2017 में हुए सुब्रोतो कप टूर्नामेंट में झारखंड राज्य की अंडर-17 (पुरुष) विजेता टीम का प्रतिनिधित्व किया। समारोह के दौरान, श्री बीरेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि ÷इन प्रतिभावान लड़कों ने यह साबित कर दिया है कि आवश्यक सुविधाएँ और सहयोग मिलने पर हमारे खिलाड़ी दुनिया को हरा सकते हैं।÷ उन्होंने विभिन्न खेल अकादमी और सुविधाओं के जरिये खेलकूद को बढ़ावा देने के सेल के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा, ÷खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही प्रतिभाओं को उभारने और उन्हें संवारने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके साथ ही और अधिक संगठनों को नवोदित खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए तथा भारत को उसके खेल गौरव को हासिल करने में मदद करना चाहिए।

कांग्रेस ने मनाई विवेकानंद स्वामी की 154 वीं जयंती

दुर्ग (नव प्रदेश)। दक्षिण ब्लाक कांग्रेस ने स्वामी विवेकानंद भवन पद्मनाभपुर में विवेकानंद की जयंती मनाई। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन दक्षिण ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अजय मिश्रा ने किया। वहीं आभार प्रदर्शन पार्षद लीलाधर पाल ने किया । इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरएन वर्मा व महिला काग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अनिता तिवारी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता उतनी शानदार होगी। इस वाक्य को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जयंती पर पार्षद अनुप चंदानिया, बसंत खिलाड़ी, आरएन सेनापति, अशोक ठाकुर, संदीप वोरा, कुणाल तिवारी, डॉ. अश्वनी जागड़े, मनोज यादव, देव सिन्हा, भोजराज यादव, अभिषेक शर्मा, भूपेन्द्र वर्मा, मायाराम साहू, आयुष शर्मा, शिशिरकांत कसार, अभिषेक गोस्वामी, अशोक ठाकुर, सोनू साहू, निखिल खिचरिया, अनुप वर्मा, संतोष खिरोडकर मौजूद थे।

महापौर, आयुक्त व एडीएम ने भ्रमण कर अभियान का लिया जायजा

दुर्ग (नव प्रदेश)। शासन के निर्देश पर आम जनता की समस्याओं, मांग और शिकायतों को दूर करने आज 12 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी लोक सुराज अभियान शिविर के पहले दिन पूरे 60 वार्डो से 975 आवेदन संकलित हुये। जिसमें 722 मांग के और 112 शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोक सुराज अभियान समाधान शिविर की व्यवस्था व कार्य का महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर, आयुक्त महोदय एस0के0 सुन्दरानी, एडीएम संजय अग्रवाल द्वारा पूरे शिविरों में जा जाकर व्यवस्था और शिविर की स्थिति का जायजा लिये। आम जनता से मुलाकात किये। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर से सभी शिविर स्थलों में समाधान पेटी भी रखी गयी थी जिसमें भी वार्डो के आवेदकों ने अपना आवेदन पेटी में डाला है। शिविर में स्थायी विद्युत पोल लगाने, सड़क नाली निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सीवरेज नाली का गतिरोध हटाने, अतिक्रमण हटाने सहित राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पेंशन कार्ड बनाने, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास में मकान, नाम हस्तांतरण करने सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के मांग तथा अतिक्रमण हटाने सहित नाली सफाई, गंदगी अव्यवस्था फैलाने सहित अन्य शिकायत के आवेदन लोगों ने जमा कराएं।

विद्यालय स्वच्छता रैंकिग में तुलाराम आर्य कन्या शाला प्रथम

दुर्ग (नव प्रदेश)। स्वच्छता रैकिंग में शहर का सौभाग्य हास्पीटल, सागर इंटरनेशल होटल/रेस्टोरेंट, तुलाराम आर्य कन्या शाला, विद्यालय, विद्या विहार कालोनी और नया बस स्टैण्ड बाजार संघ स्वच्छा रैकिंग में आगे आये। महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर व आयुक्त महोदय ने मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर इन्हें स्वच्छता में बेहतर सहयोग और कचरा किये । इसके अलावा जिन संस्थाओं द्वारा संस्थान से निकलने वाले कचरों का निष्पादन स्वयं कर अपने संस्थानों को जीरो वेस्ट किया ऐसे संस्थानों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा, स्वच्छता निरीक्षक जसवीर सिंह भुपाल, मेनसिंग मंडावी, तथा संस्थानों के अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर एवं आयुक्त महोदय एस0के0सुन्दरानी के मार्गदर्शन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 अंतर्गत स्वच्छता रैकिंग जारी है। इसमें शहर के प्रमुख होटल, रेस्टारेट, हास्पीटल, कालोनी, बल्क गारबेज जनरेटर, विद्यालय, और व्यापारी संघ को शामिल किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अंतर्गत अपने संस्थानों को जीरो वेस्ट किया जाना था। स्वच्छता रैकिंग में बल्क गारबेज जनरेटर विज्ञान केन्द्र दुर्ग प्रथम, अभिनंद पैलेस पुलगांव द्वितीय, जलाराम वाटिका तृतीय स्थान प्राप्त किया।

कलेक्टर ने किया आंगनबाड़ी केन्द्र का किया निरीक्षण

दुर्ग (नव प्रदेश)। कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने आज लोक सुराज अभियान के दौरान पाटन के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर जहां आवेदन संकलन शिविर की व्यवस्था और प्राप्त हो रहे आवेदनों की जानकारी ली। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र, धान खरीदी केन्द्र, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के तहत बनाए जा रहे धरसा निर्माण कार्य का भी निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की। कलेक्टर ने इन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और किसी प्रकार की अनियमितता होने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी के बच्चों के कक्ष में प्रवेश किया तब छोटे-छोटे बच्चों ने नमस्ते सर कहकर अभिवादन किया। बच्चों की इस अभिवादन पर कलेक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त किया और बच्चों की इस व्यवहारिकता ने कलेक्टर का मन और दिल जीत लिया। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने ग्राम पौहा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र-2 पहुंचकर नौनिहालों से मूलाकात किया। कलेक्टर ने यहां नन्हें-मुन्हे बच्चों से बहुत ही सहज और सरलतापूर्वक छत्तीसगढ़ी में बात किया। उन्होंने बच्चों से रेडी-टू-ईट, मुख्यमंत्री अमृत योजना के संबंध में बात किया। बच्चों ने कहा कि उन्हें दूध पीना अच्छा लगता है। इसके साथ ही मूर्रा-लड्डू भी दिया जाता है, जिसे वे पसंद करते हैं। कलेक्टर श्री अग्रवाल आज ग्राम पंचायत फेकारी में श्री मिलाप विश्वकर्मा के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकान का अवलोकन किया। कलेक्टर को अपने घर पाकर हितग्राही श्री मिलाप विश्वकर्मा ने बेहद प्रसन्नता व्यक्त किया।

आवेदन लेने के साथ शुरू हुआ अभियान

प्रदेश के साथ ही जिले में लोक सुराज अभियान-2018 के प्रथम चरण आवेदन संकलन शिविर का आगाज आज से शुरू हुआ। प्रथम चरण आवेदन संकलन शिविर में जनसामान्य से विभिन्न समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन लेने की प्रक्रिया के साथ अभियान शुरू हुआ। जिले में लोक सुराज अभियान को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में लिया है। कलेक्टर ने आज विकासखण्ड पाटन के विभिन्न ग्राम पंचायतों का सघन भ्रमण कर आवेदन संकलन शिविर का जायजा लिया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सेलूद, फेकारी, गाड़ाडीह, पौहा, जामगांव(आर), भरर, गब्दी एवं दरबार मोखली पहुंचकर आवेदन संकलन शिविर में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से अभियान के आयोजन के लिए की गई तैयारी और जनसामान्य से मिल रहे आवेदनों की वस्तुस्थिति से मुखातिब हुए।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्लस्टर ऑफिसः जीत टावर, द्वितीय तल, राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर-492001
फोनः 0771-4700831 ई-मेलः rrl_7661@obc.co.in

ओ. बी. सी.

चल और अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई - निलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
अंतिम तिथि व ईएमडी ब्याना और दस्तावेजों को 15.02.2018 शाम 5 बजे तक जमा करने का समय

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों तथा प्रतिभूति हित (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के पुनर्निर्माण (2002 का क्रमांक 54) के तहत बैंक को गिरवी रखी गई चल/अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना जिसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा संपत्ति धारा 13 (2) संपत्ति प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों तथा प्रतिभूति हित (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के पुनर्निर्माण के तहतजारी किए गए नोटिस के आधार पर कब्जे में लिया गया है, हमारे **क्लस्टर** के निम्न ऋण खातों को बिक्री के अधिकार से "जहाँ है जैसे है" बैंक की बकाया राशि वसूली हेतु बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित द्वारा किया जायेगा। वेबसाइटः https://obc.auctiontiger.net

चल / अचल संपत्ति का विवरण

उधारकर्ता/जमानतदार का नाम	मॉग सूचना दिनांक/ कब्जा सूचना की तारीख बकाया ऋण (सुरक्षित ऋण)	ईएमडी प्रेषण खाता विवरण	आरक्षित मूल्य बयाना राशि बोली बढ़ाने वाली राशि	दिनांक/ ई-नीलामी का समय
कु0 किरन भगत केयर आफ एडवोकेट एम.जेड. खान पता- शान्ती आटा चक्की के पास, पचपेड़ी नाका चौक, रायपुर (छ.ग.), कु0 किरन भगत पुत्री श्री एफ.आर. भगत, पता- ए-20,5वां फ्लोर, सीजीएचबी एश्वर्या किंगडम कचना के पास, रायपुर (छ.ग.)। कु0 किरन भगत केयर आफ मेसर्स आर.बी. इंडस्ट्रीज, फेज-, प्लाट नं0- 110, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)।	05.07.2017 / 08.09.2017 ₹16,74,460.00/- (सोलह लाख चौहत्तर हजार चार सौ साठ मात्र) + 01.07.2017 से ब्याज एवं अन्य खर्च अतिरिक्त नोटः बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति।	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता सं. 21191181000019 आई एफ एस सी कोड सं. ORBC0102119	₹19,57,000/- ₹2,00,000/- ₹50,000/-	17.02.2018 सुबह 11:00 से 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असिमित विस्तार के साथ)
सम्पति का विवरण और मालिकः पूर्ण स्वामित्व का आवासीय मकान खसरा नं0- 11392 (प्लाट का क्षेत्रफल-1185 वर्गफीट और निर्माण एरिया-938 वर्गफीट) गोगांव बुद्धा विहार कालोनी, संत कबीर दास वार्ड नं0-3 गुढ़ियारी, रायपुर(छ.ग.) में कु0 किरन भगत के नाम स्थित है। **चौहद्दीः उत्तर-** राजा मेशाराम का मकान, **दक्षिण-** रूही रावत का मकान, **पूर्व-** सड़क, **पश्चिम-**सड़क।				
श्री जीतेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री धनश्याम शुक्ला, **श्रीमती प्रीती शुक्ला** पत्नी श्री जीतेन्द्र शुक्ला **दोनो का पताः** सुयोग विहार, गली नं0 7, तेलीबांधा, रायपुर - 492001 **यह पता भीः** मकान नं0 बी-2, प्रगती विहार कॉलोनी, महावीर नगर, पुरैना, रानी दुर्गावती वार्ड नं0 45 रायपुर (छ.ग.)	06.09.2017 / 18.12.2017 ₹28,87,212.50 (अठ्ठाइस लाख सत्तासी हजार दो सौ बारह एवं पचास पैसे मात्र) + 01.09.2016 से ब्याज एवं अन्य खर्च अतिरिक्त। नोटः बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति।	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता सं. 21191181000019 आई एफ एस सी कोड सं. ORBC0102119	₹ 29,50,000/- ₹ 2,95,000/- ₹50,000/-	17.02.2018 सुबह 11:00 से 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असिमित विस्तार के साथ)
सम्पति का विवरण और मालिकः अचलः पूर्ण स्वामित्व का आवासीय मकान का परिवर्तित प्लाट नं0 515, खसरा नं0 265/2, प्लाट का क्षेत्रफल 1040 वर्ग फिट, मौजा- पुरैना, वार्ड नं0 45 (रानी दुर्गावती वार्ड), पीएच नं0 113, आरआईसी रायपुर-2, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित है जो **श्रीमती प्रीती शुक्ला** पत्नी श्री जितेन्द्र शुक्ला के नाम है। **चौहद्दीः उत्तर-** रोड, **दक्षिण-** विक्रेता की भूमि, **पूर्व-** यादव जी, **पश्चिम-** विक्रेता की भूमि।				

नियम एवं शर्तेः
(1) अधिकृत अधिकारी के ज्ञान और जानकारी के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता द्वारा स्वयं स्वतंत्र पूछताछ कर, संपत्ति के ऋण भार के बारे में और शीर्षक का निरीक्षण कर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। ई प्रस्ताव के माध्यम से ऊपर संपत्तियों की खरीद के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं से मंच https://obc.auctiontiger.net के माध्यम से बोली इलेक्ट्रानिक मोड से आमंत्रित किया जाता है। ई-निलामी 17.02.2018 को आयोजित किया जायेगा। ई-निलामी जो "जहाँ है जैसा है" के रूप में की जा रही है। (2) ईएमडी और दस्तावेजो के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समय 15.02.2018 **सायं 05.00 बजे** तक है। (3) इच्छुक खरिददार/बोलीदाता संपत्ति का निरिक्षण कर सकते हैं। (4) ई-निलामी की विफलता की स्थिति में, बैंक निजी संधि के माध्यम से संपत्ति को बेचने को अधिकार सुरक्षित रखता है। (5) नीलामी/बोली "आनलाइन इलेक्ट्रानिक नीलामी" वेबपोर्टल **https://obc.auctiontiger.net** माध्यम से 17.02.2018 को उपर लिखित समय के मध्य, 5 मिनट (असीमित) विस्तार के रूप में संबंधित कॉलम के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं से पोर्टल के साथ खुद को रजिस्टर कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध हैं। (6) इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ईएमडी के साथ वेबपोर्टल से प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। ईएमडी एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा और ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। प्रेषित ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा को अपडेट करने, बोली प्रस्तुत करने, तथा ई- बिड प्रस्तुत करने की प्रोसेस के लिए सहायता की आवश्यकता हो तो नीलामी बोली फर्म से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नम्बर- **703040464421/07940005440(श्री राम काले)** हेल्पलाइन ई-मेल आईडीः Chhattisgarh@auctiontiger.net और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न **मुख्य प्रबंधक श्री दिलीप केदार, RRL रायपुर** से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल - **rrl_7661@obc.co.in** टेलीफोन नं **0771-4700831, मोबः 9644469222** किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान।(7) इच्छुक खरीददार/बोलीदाता ऑनलाईन ट्रेनिंग सेवा प्रदाता फर्म से निलामी की तारीख से पहले प्राप्त कर सकता है। (8) बिना जमा राशि (ईएमडी) और उचित दस्तावेजों के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायेंगे। अधिकतम बोली लगाने वाला बोलीदाता जिसकी बोली ई-बोली प्रक्रिया के बंद होने पर उच्चतम होगी वह सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा तथा इस संबंध में संचार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी किया जाएगा। सफल क्रेता बिक्री मूल्य का 25% पहले से जमा ईएमडी समायोजन करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रस्ताव की स्वीकृति पर 24 घण्टे के भीतर करेगा। ऐसा न करने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। बिक्री मूल्य का 75% शेष भाग 15 दिन के अन्दर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित स्वीकृत तिथि तक करना है। स्वीकृत राशि जमा करने के लिए विफलता के मामले में, जमा राशि को जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा और खरीददार किसी भी दावे का अधिकारी नहीं होगा तथा संपत्तियों पर कोई भी वैधानिक और अन्य देय राशि, देय बकाया राशि इच्छुक क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। केवल पूरे बिक्री राशि के भुगतान के बाद, खरीदार को सरफेसी अधिनियम के नियमों के अनुसार एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। (9) बिक्री की पुष्टि भविष्य में सक्षम न्यायलय के द्वारा पारित आदेश/कानून के अधीन है और आगे बैंक बिक्री / बिक्री की पुष्टि के मुद्दे में किसी भी देरी के मामले में ईएमडी के किसी भी ब्याज / रिफंड के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश ई-नीलामी आयोजन के बाद होता है। (10) क्रेता स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण के खर्च को वहन करेगा। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी किसी एक या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार या किसी भी कारण बताए बिना एक या एक से अधिक संपत्तियों के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है। (11) आयकर नियमों के अनुसार, क्रेता को टीडीएस के रूप में बिक्री पर 1% राशि घटाकर कर अधिकारियों को जमा कराना होगा और उसकी रसीद बैंक में जमा करनी होगी। यह शर्त 50.00 लाख से अधिक मूल्य के संपत्ति की बिक्री के लिए लागू है। (12) किसी भी विवाद की स्थिती में अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञापन मान्य होगा। (13) इच्छुक बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नियम 8(6) के तहत वैधानिक सूचना 30 दिनों बिक्री सूचना सुरक्षा हित की (प्रवर्तन) नियम 2002 सरफेसी अधिनियमों के अंतर्गत
उधारकर्ता / जमानतदार को एतद् द्वारा सम्पूर्ण राशि ब्याज और सहायक व्यय के साथ ऊपर लिखित राशि भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। नीलामी किसी भी कारण से विफल रहती है, तो बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी सूचना के बिना निजी संधि के माध्यम से ऊपर गिरवी संपत्ति बेचने लिए अधिकृत होगा।

दिनांकः 13.01.2018
स्थानः रायपुर
प्राधिकृत अधिकारी
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स